भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4466

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई

4466. श्री जय प्रकाश:

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा के हिसार और सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या कितनी है, वितरित खाद्यान्न की मात्रा कितनी है और वितरण की नियमितता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-पीओएस मशीन, आधार प्रमाणीकरण आदि जैसे तकनीकी उपाय अपनाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए निगरानी करने या कोई सुधारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को हिसार और सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित हरियाणा राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्तमान में, हरियाणा राज्य सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत राज्य के लिए निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य सीमा अर्थात 126.49 लाख लाभार्थियों को चिह्नित किया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचन क्षेत्र-वार लाभार्थी डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

....2/-

चालू वर्ष (अर्थात वर्ष 2025) के दौरान हिसार और सोनीपत जिलों में वितरित खाद्यान्न की मात्रा का विवरण इस प्रकार है: -

जिला	मात्रा (टन में)*
हिसार	46753.335 टन
सोनीपत	34593.615 टन

*दिनांक 14.08.2025 की स्थिति के अनुसार

(ग) से (ङ): प्रौद्योगिकी संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, टीपीडीएस में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से (100%) डिजिटल कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण लगाकर स्वचालित किया गया है।

*****